<u>सार्वजनिक सूचना</u>

यूपीसीएल द्वारा उत्तराखण्ड़ विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी वित्तीय वर्ष 2021–22 की ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2022–23 की कार्य प्रगति समीक्षा तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 की वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ पिटीशन पर विचार आंमत्रित किये जाते हैः

<u>वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) एवं टैरिफ पिटीशन के मुख्य अंश</u>

1– उत्तराखण्ड़ पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), उत्तराखण्ड़ राज्य की एकमात्र वितरण अनुज्ञापी कम्पनी ने वित्तीय वर्श 2023–24 की एआरआर की स्वीकृति तथा विद्युत दरें निर्धारित करने हेतु आयोग के समक्ष एक पिटीशन प्रस्तुत की है तथा राज्य के विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं से वित्तीय वर्श 2023–24 में चार्ज की जाने वाली फुटकर विद्युत दरों के पुर्नरीक्षण का प्रस्ताव किया है।

2– यूपीसीएल ने उपरोक्त पिटीशन के माध्यम से आडिटेड़ लेखों के आधार पर वित्तीय वर्श 2021–22 के खर्चो के ट्रू–अप का प्रस्ताव भी किया है। वित्तीय वर्श 2021–22 की संशोधित एआरआर एवं संशोधित राजस्व अन्तर का सारांश व वित्तीय वर्श 2023–24 की अनुमानित एआरआर एवं राजस्व अन्तर का विवरण निम्नवत् हैः

(आंकडे रू0 करोड़ में)

क्रम सं0	विवरण	वर्ष 2021–22		वर्ष 2022–23		वर्ष 2023–24
		आयोग द्वारा अनुमोदित	यूपीसीएल द्वारा प्रस्तावित अन्तिम ट्रू–अप	आयोग द्वारा अनुमोदित	यूपीसीएल के सं ोधित अनुमान	यूपीसीएल द्वारा अनुमानित
अ	खर्चे					
1	ऊर्जा क्रय लागत #	5269.47	5047.91	5269.47	7084.88	6796.5
2	यूजेवीएनएल की बकाया कमी/(अधिक्य)	-27.61	178.87	-27.61		
3	एसएलडीसी चार्जेज	288.11	290.95	288.11	304.29	408.52
4	राज्य के पारेषण व्यय					
5	अर्न्तराज्य पारेषण व्यय	614.55	734.51	614.55	718.84	775.34
6	परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय	595.28	641.37*	595.27	718	770.99
7	ब्याज प्रभार (उपभोक्ताओं की जमानत राशि पर ब्याज सहित)	128.06	148.75	128.06	169.53	158.74
8	गांरटी फीस	1.24	0.24	1.24	0.24	0.24

क्रम सं0	विवरण	वर्ष 2021–22		वर्ष 2022–23		वर्ष 2023–24
		आयोग द्वारा अनुमोदित	यूपीसीएल द्वारा प्रस्तावित अन्तिम ट्रू–अप	आयोग द्वारा अनुमोदित	यूपीसीएल के सं ोधित अनुमान	यूपीसीएल द्वारा अनुमानित
9	ह्रास	178.8	246.98	178.8	296.15	311.54
10	अंशपूजी पर प्रतिफल	117.87	138.76	117.87	168.43	183.3
11	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	121.86	117.42	121.86	117.96	140.24
12	अशोद्वय ऋणों के लिये प्रावधान		115.18			
13	शुद्ध लाभ / (हानि) के अंश का प्रभाव	-	-59.38*			
14	गत वर्ष तक के लम्बित सर्टिफिकेट्स का अतिरिक्त क्लेम	-	123.42			
15	**सकल व्यय**	**7287.64**	**7724.98**	**7287.63**	**9578.32**	**9545.41**
ब.	घटाया : नॉन टैरिफ आय	282.72	304.73	282.72	272.5	272.5
	गत वर्ष के Truing up का प्रभाव कमी / (आधिक्य)	620.30	620.30	620.3	8.61	1121.51^
स.	**कुल राजस्व आवश्यकता**	**7625.22**	**8040.55**	**7625.22**	**9314.43**	**10394.42**
द.	अनुमोदित / लागू विद्युत दरों पर राजस्व	**7364.51**	**7124.33**	**7684.78**	**-**	**8887.29**
य.	**राजस्व आधिक्य/ (कमी) (स–द)**	**260.71**	**916.22***	**-59.55**	**-**	**1507.13**

 # वॉटर टैक्स तथा आर.पी.ओं सहित।

^ रू0 205.30 करोड़ की वहन लागत सहित।

** यूपीसीएल ने मानक प्र ासकीय एवं सामान्य खर्चों में सं ोधन किया है जिससे गैप की सं ोधित धनरा ि रू0 906.34 करोड़ होगी।*

3– यूपीसीएल ने वित्तीय वर्श 2021–22 के ट्रू–अप के प्रभाव सहित राजस्व की कुल कमी रू0 1507.13 करोड़ अनुमानित की है।

4– यूपीसीएल ने मल्टी ईयर टैरिफ आदे ा दिनांक 31–03–2022 में अनुमोदित वितरण हानियों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 की वितरण हानियां 13.25 प्रतिशत अनुमानित की है। वर्ष 2023–24 में यूजेवीएन लिमिटेड (व्यासी छोडकर) तथा केन्द्रीय विद्युत उत्पादन गृहों से उत्पादित विद्युत का फिक्सड चार्ज वर्ष 2022–23 (बकाया रहित) के प्रथम छः माह के फिक्स चार्ज को दोगुना करने के उपरान्त छः माह की बकाया राि ा जोडकर आगणित की गयी है। इन्हीं विद्युत उत्पादन गृहों की वर्श 2023–24 की परिवर्तनशील लागत का अनुमान वर्श 2022–23 के प्रथम छः माह की प्रति यूनिट परिवर्तनशील लागत (बकाया रहित) के आधार पर गणना करते हुये उसमें छः माह की बकाया राि ा जोडकर आगणित की गयी है। इसी प्रकार पीजीसीआईएल के पारेशण चार्जेज की गणना वर्श 2021–22 की वास्तविक लागत (बकाया रहित) प्रति यूनिट के आधार पर प्रदेश के बाहर से क्रय की जाने वाली ऊर्जा को गुणा कर आगणित की गयी है। राज्य के ट्रांसमिशन चार्जेज तथा स्टेट लोड डिस्पेच सेन्टर चार्जेज वही लिये गये है जो आयोग के मल्टी ईयर टैरिफ आदेश दिनांक 31–03–2022 द्वारा वर्श 2023–24 के लिये अनुमोदित किये गये है।

5– यूपीसीएल ने वित्तीय वर्श 2021–22 के ट्रू–अप तथा वित्तीय वर्श 2023–24 की एआरआर तथा राजस्व की कुल कमी रु0 1507.13 करोड़ को वित्तीय वर्श 2023–24 में टैरिफ में वृद्धि कर वसूली का प्रस्ताव किया है। इस प्रकार यूपीसीएल ने वर्तमान में उपभोक्ताओं पर लागू विद्युत दरों में 16.96 प्रतिशत औसत वृद्धि का प्रस्ताव किया है।

6– पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड़ लिमिटेड, स्टेट लोड डिस्पेच सेन्टर एवं यूजेवीएन लिमिटेड ने भी वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये अपनी एआरआर एवं टैरिफ पिटीशन आयोग के समक्ष प्रस्तुत की है। यदि आयोग द्वारा इनके दावे स्वीकार किये जाते है, तो उपभोक्ता टैरिफ में वित्तीय वर्श 2023–24 में 28.57 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

7– यूपीसीएल ने रु0 1507.13 करोड की कमी को पूरा करने के लिये वर्श 2023–24 में लागू किये जाने वाले टैरिफ में निम्नानुसार संशोधन का प्रस्ताव किया हैः

श्रेणी	फिक्स/डिमाड चार्जेज		इनर्जी चार्ज	
	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित
आरटीएस–1: घरेलू				
1.1 लाईफ लाईन उपभोक्ता	रू0 18/ कनेक्शन/ माह	रू0 20/कनेक्शन / माह	रू0 1.65/kWh	रू0 1.70/kWh
1.2 अन्य घरेलू उपभोक्ता				
(i) उपभोग 100 यूनिट प्रतिमाह तक	(i) 1 कि0वा0 भार तक : रू0 60 / किवा / माह (ii) 1 कि0वा0 से अधिक तथा 04 कि0वा0 भार तकः रू0 70 / किवा / माह (iii) 4 कि0वा0 से अधिक भार : रू0 80 / किवा / माह	(i) 1 कि0वा0 भार तक : रू0 65 / किवा / माह (ii) 1 कि0वा0 से अधिक तथा 04 कि0वा0 भार तकः रू0 85 / किवा / माह (iii) 4 कि0वा0 से अधिक भार : रू0 90 / किवा / माह	रू0 2.90/kWh	रू0 3.00/kWh
(ii) उपभोग 101–200 यूनिट प्रतिमाह			रू0 4.20/kWh	रू0 4.55/kWh
(iii) उपभोग 201–400 यूनिट प्रतिमाह			रू0 5.80/kWh	रू0 6.35/kWh
(iv) उपभोग 400 यूनिट से अधिक प्रतिमाह			रू0 6.55/kWh	रू0 7.15/kWh
1.3. सिंगल प्वाइन्ट बल्क सप्लाई 75 कि0वा0 से अधिक	रू0 100/ केवीए/माह	रू0 125/ केवीए / माह	रू0 5.40/kVAh	रू0 6.15 /kVAh
आरटीएस–1एःस्नोबाउन्ड				
घरेलू	रू0 18/ कनेक्शन/ माह	रू0 20/ कनेक्शन/ माह	रू0 1.65 /kWh	रू0 1.75 /kWh
अघरेलू (1 किवा भार तक)	रू0 18/ कनेक्शन/ माह	रू0 20/ कनेक्शन/ माह	रू0 1.65 /kWh	रू0 1.75 /kWh
अघरेलू (1 किवा से अधिक एवं 4 किवा भार तक)	रू0 18/ कनेक्शन/ माह	रू0 20/ कनेक्शन/ माह	रू0 2.40/kWh	रू0 2.55 /kWh
अघरेलू (4 किवा से अधिक भार)	रू0 30/ कनेक्शन/ माह	रू0 35/ कनेक्शन/ माह	रू0 3.55 /kWh	रू0 3.70 /kWh
आरटीएस–2: अघरेलू				
1. (i) सरकारी/म्यूनिस्पिल अस्पताल (ii) सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थायें (iii) चेरिटेबिल संस्थायें जो आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत पंजीकृत हो एवं जिनकी आय इस अधिनियम के अन्तर्गत कर मुक्त हो।				
1.1 25 किवा भार तक	रू0 80/किवा/माह	रू0 100/किवा/माह	रू0 4.75 /kWh	रू0 5.40 /kWh
1.2 25 किवा से अधिक भार	रू0 90/केवीए/माह	रू0 110/केवीए/माह	रू0 4.50 /kVAh	रू0 5.30 /kVAh
2. अन्य अघरेलू/ वाणिज्यिक उपभोक्ता				
2.1 छोटे अघरेलू उपभोक्ता जिनका भार 4	रू0 75/किवा/माह	रू0 85/किवा/माह	रू0 4.80 /kWh	रू0 5.25 /kWh

श्रेणी	फिक्स / डिमाड चार्जेज		इनर्जी चार्ज	
	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित
किवा तक व उपभोग 50 यूनिट प्रति माह तक है				
2.2 25 किवा0 भार तक	रू0 95/किवा / माह	रू0 120/किवा / माह	रू0 5.90 /kWh	रू0 7.00 /kWh
2.3 25 किवा से अधिक भार	रू0 95/केवीए / माह	रू0 120/केवीए / माह	रू0 5.90 /kVAh	रू0 7.00 /kVAh
3. सिंगल प्वाइन्ट बल्क सप्लाई (75 किवा से अधिक भार)	रू0 110/केवीए / माह	रू0 140/केवीए / माह	रू0 6.00 /kVAh	रू0 7.10 /kVAh
4.0 स्वतंत्र विज्ञापन होर्डिंग्स	रू0 120/किवा / माह	रू0 150/किवा / माह	रू0 6.65 /kWh	रू0 7.90 /kWh
आरटीएस–3: गवर्नमेन्ट पब्लिक यूटिलिटिज				
1. नगरीय मीटर सहित	रू0 100/केवीए / माह	रू0 130/केवीए / माह	रू0 6.05 /kVAh	रू0 7.40 /kVAh
2. ग्रामीण मीटर सहित	रू0 90/केवीए / माह	रू0 120/केवीए / माह	रू0 6.05 /kVAh	रू0 7.40 /kVAh
आरटीएस–4: निजी नलकूप / पम्पिंग सेट				
मीटर सहित	Nil	Nil	रू0 2.15 /kWh	रू0 2.35 /kWh
आरटीएस–4 ए: एग्रीकल्चर एलाइड एक्टीवीटीज				
मीटर सहित	Nil	Nil	रू0 2.85 /kWh	रू0 3.25 /kWh
आरटीएस–5: निम्न एवं उच्च विभव उद्योग				
100 बीएचपी / 75 किवा भार तक वाले निम्न विभव उद्योग				
1.1 अनुबन्धित भार 25 किवा तक	रू0 165/किवा / माह	रू0 195/किवा / माह	रू0 4.80 /kWh	रू0 5.60 /kWh
1.2 अनुबन्धित भार 25 किवा से 75 किवा0 तक	रू0 170/केवीए / माह	रू0 210/केवीए / माह	रू0 4.50 /kVAh	रू0 5.30 /kVAh
75 किवा / 88 केवीए अनुबन्धित भार से अधिक वाले उच्च विभव उद्योग				
2.1 अनुबन्धित भार 1000 केवीए तक				
1- लोड फैक्टर 40 प्रतिशत तक	रू0 360 / केवीए / माह बिल योग्य मांग पर	रू0 440 / केवीए / माह बिल योग्य मांग पर	रू0 4.80 /kVAh	रू0 5.70 /kVAh
2- लोड फैक्टर 40 प्रतिशत से अधिक	रू0 360 / केवीए / माह बिल योग्य मांग पर	रू0 440/ केवीए / माह बिल योग्य मांग पर	रू0 5.20 /kVAh	रू0 6.20 /kVAh
2.2 अनुबन्धित भार 1000 केवीए से अधिक				

श्रेणी	फिक्स/डिमाड चार्जेज		इनर्जी चार्ज	
	वर्तमान	प्रस्तावित	वर्तमान	प्रस्तावित
1- लोड फैक्टर 40 प्रतिशत तक	रू0 430 / केवीए /माह बिल योग्य मांग पर	रू0 530 / केवीए /माह बिल योग्य मांग पर	रू0 4.80 /kVAh	रू0 5.70 /kVAh
2- लोड फैक्टर 40 प्रतिशत से अधिक	रू0 430 / केवीए /माह बिल योग्य मांग पर	रू0 530 / केवीए /माह बिल योग्य मांग पर	रू0 5.20 /kVAh	रू0 6.20 /kVAh
आरटीएस–6: मिश्रित भार (75 किवा से अधिक सिंगल प्वाइंट बल्क सप्लाई एमईएस सहित)	रू0 120/केवीए/माह	रू0 145/ केवीए /माह	रू0 5.60 /kVAh	रू0 6.70 /kVAh
आरटीएस–7: रेलवे ट्रेक्शन	रू0 285/केवीए/माह	रू0 320/केवीए/माह	रू0 4.90 /kVAh	रू0 5.70 /kVAh
आरटीएस–8: इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टे ान	–	–	रू0 5.50 /kWh	रू0 6.25 /kWh

उद्योगों के लिये टीओडी चार्जेज

उद्योग	इनर्जी चार्ज		
	सामान्य अवधि	पीक अवधि	ऑफ पीक अवधि
निम्न विभव उद्योग	रू0 5.30 /kVAh	रू0 6.89/kVAh	रू0 4.24/kVAh
उच्च विभव उद्योग			
लोड फैक्टर 40 प्रतिशत तक	रू0 5.70/kVAh	रू0 7.98/kVAh	रू0 4.56/kVAh
लोड फैक्टर 40 प्रतिशत से अधिक	रू0 6.20/kVAh	रू0 8.06/kVAh	रू0 4.96/kVAh

8 – उपरोक्त के अतिरिक्त यूपीसीएल द्वारा टैरिफ रेशनेलाइज़ेशन के निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित किये गये हैः

(i) प्रीपेड मीटरिंग योजना जारी रखना।

(ii) बी.पी.एल. / लाइफ लाईन उपभोक्ताओं के टैरिफ में औसतन 4.50 प्रति ात टैरिफ वृद्धि का प्रस्ताव।

(iii) अन्य घरेलू श्रेणी के सभी स्लैब के टैरिफ में औसतन 8 से 12 प्रति ात वृद्धि का प्रस्ताव।

(iv) अघरेलू श्रेणी के टैरिफ में औसतन 19 से 20 प्रति ात वृद्धि का प्रस्ताव।

(v) एल.टी. इण्डस्ट्री के टैरिफ में औसतन 18 से 19 प्रति ात वृद्धि का प्रस्ताव।

(vi) एच.टी. इण्डस्ट्री के टैरिफ में औसतन 19 प्रति ात वृद्धि का प्रस्ताव।

(vii) दर सूची – आर.टी.एस. – 5 (एच.टी. इण्डस्ट्री) के 88 केवीए/ 75 किलोवॉट (100 बी.एच.पी.) के इच्छुक उपभोक्ताओं को ग्रीन पॉवर की आपूर्ति के लिये ग्रीन पॉवर स्कीम तथा ग्रीन पॉवर टैरिफ के निर्धारण का प्रस्ताव।

(viii) इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिये अलग टैरिफ जारी रखने का प्रस्ताव।

(ix) मत्स्य पालन को दर सूची आर.टी.एस.–4 ए में आवरित करने का प्रस्ताव।

(x) विद्युत बिलों के ऑनलाईन भुगतान पर वर्तमान में मिलने वाली छूट को जारी रखने का प्रस्ताव।

9– विस्तृत याचिका किसी भी कार्य दिवस में आयोग अथवा मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), वीसीवी गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून/ मुख्य अभियन्ता (वितरण), गढ़वाल क्षेत्र, उत्तराखण्ड़ पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 120–हरिद्वार रोड़, देहरादून/ मुख्य अभियन्ता (वितरण), कुमांऊ क्षेत्र, उत्तराखण्ड़ पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 132–के0वी0 सबस्टेशन, काठगोदाम, हल्द्वानी / मुख्य अभियन्ता (वितरण), हरिद्वार क्षेत्र, उत्तराखण्ड़ पावर कारपोरेशन लिमिटेड, रोशनाबाद, हरिद्वार/ मुख्य अभियन्ता (वितरण), उधमसिंह नगर क्षेत्र, उत्तराखण्ड़ पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 33 केवी सबस्टेशन, सेक्टर–2, सिडकुल, पंतनगर,रुद्रपुर–263153 पर बिना किसी खर्च के देखी जा सकती है। याचिका के सम्बन्धित प्रपत्र यूपीसीएल के उपर्युक्त वर्णित कार्यालयों से प्राप्त किये जा सकते है।

10– उक्त पिटीशन आयोग की वेबसाईट (www.uerc.gov.in) एवं यूपीसीएल की वेबसाईट (www.upcl.org) पर भी उपलब्ध है।

11– याचिका पर उपभोक्ताओं एवं अन्य स्टेकहोल्डर्स के सुझाव/मत, यदि कोई हो, आंमत्रित किये जाते है। ये सुझाव/मत व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड़ विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, निकट आई0एस0बी0टी0, पोस्ट आफिस– माजरा, देहरादून – 248171 को अथवा ई–मेल (secy.uerc@gov.in) पर दिनांक 31–01–2023 तक भेजे जा सकते है। ये सुझाव /मत यूपीसीएल के प्रत्येक सबस्टेशन पर स्थापित ड्रॉप बॉक्स में भी उक्त तिथि तक एक लिफाफे में रखकर डाले जा सकते है। यह लिफाफा सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग को सम्बोधित होना चाहिये।

प्रबन्ध निदेशक